

>

Title: Introduction of Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2009.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972."

The motion was adopted.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-2, dated 4.12.09.

SHRI REWATI RAMAN SINGH (ALLAHABAD): Madam Speaker, I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: What is your point of order?

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) यदि आप स्पीकर हों, तो हम आपको ही बताएंगे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। इसे छोड़ने दीजिए।

वेदः (व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र से जितने भी सांसद हैं, उन्हें लिबरेशन आयोग की रिपोर्ट की एक भी कॉपी नहीं मिली है। आपने दिनांक 7 व 8 दिसम्बर को चर्चा रखी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सब मैम्बर्स को आयोग की रिपोर्ट हिन्दी में उपलब्ध करानी चाहिए। अगर दिनांक 7 व 8 दिसम्बर को इस पर चर्चा होनी है, तो मैं मंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि वे आज ही रिपोर्ट की हिन्दी प्रतियाँ सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं नहीं समझता कि कैसे यह कहा गया है, लेकिन मैं इस बात की आगे तफ्तीश करूँगा कि रिपोर्ट माननीय सदस्यों को क्यों नहीं मिली। ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदया, मुझे भी इस रिपोर्ट की एक भी प्रती नहीं मिली है। जब मैंने कहा कि हिन्दी की प्रती नहीं है, तो अंग्रेजी की ही प्रती दे दीजिए, तब कहा गया कि उपलब्ध ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, एक सदस्य को दोनों भाषाओं में रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। पहले सदन ने इस बात को माना था, इसी कारण अगले दिन ही रिपोर्ट सदन में पेश हो गई थी और सभी ने यह माना था कि सिर्फ इंग्लिश में पेश हो जाए। डिसकशन भी तय हो गई थी और उस वक्त ...(व्यवधान)

एक मिनट रुक जाइए। मुझे आप बात करने का तो मौका देने या नहीं?

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मंत्री महोदय खड़े हैं। उनकी बात सुन लीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : जब समय तय हो रहा था, उस समय भी समाजवादी पार्टी की ओर से यह बात नहीं उठी थी, लेकिन बाद में जब यह बात आई, तो हमने समय मांगा और कल रिपोर्ट टेबल पर प्रस्तुत की गई थी। मैं अभी इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि दोनों भाषाओं में से एक भाषा में, हिन्दी या अंग्रेजी में से जिस भाषा में सदस्य रिपोर्ट चाहते हैं, उन्हें वह उपलब्ध हो सके।

महोदया, यह बहुत लम्बी रिपोर्ट थी। जैसा मैंने कहा, प्रिंट करने का जो एक नॉर्मल तरीका होता है, उससे हटकर प्रिंट हुई थी और मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट की हिन्दी की प्रती भी जरूर मिल जाएगी।

मैडम, आज अगर सभी माननीय सदस्य कहें कि उस रिपोर्ट की दोनों भाषाओं में सभी सदस्यों को एक-एक प्रती दी जाए, तो यह वाजिब नहीं है।

सभी माननीय सदस्यों ने लोक सभा में अपनी-अपनी प्रिफरेंस दी हुई होती है कि उन्हें पार्टियामेंट्री कागजात किस भाषा में चाहिए। दोनों में से किसी एक भाषा में, जिसमें माननीय सदस्य चाहेंगे, उसमें रिपोर्ट की एक प्रती आज सभी माननीय सदस्यों को मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, अब कार्यवाही आगे बढ़ाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): संसदीय कार्य मंत्री जी, आप रिपोर्ट प्रकाशन फलक पर रखवा दें, जिसको जिस भाषा में चाहिए होगी, वह ले लेगा।...(व्यवधान)